

जिला सवाई माधोपुर

शुक्रवार

दिनांक :- 06.10.2017

शांति भंग करने के 03 आरोपी गिरफ्तार :-

अतरसिंह हैड कानि० थाना मलारना डूंगर स०मा० ने श्री उदयराज पुत्र शिवदयाल जाति मीना उम्र 24 साल निवासी करेल थाना मलारना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार गिरिराज प्रसाद स०उ०नि० थाना मलारना डूंगर ने श्री पृथ्वीराज पुत्र रामकुमार जाति माली उम्र 45 साल निवासी मायापुर डूंगरी थाना मलारना डूंगर जिला स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार अजीतसिंह स०उ०नि० थाना सदर गंगापुरसिटी ने देवेन्द्रसिंह पुत्र श्री नायबसिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी तलावडा थाना सदर गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 05 आरोपी गिरफ्तार:-

रामावतार हैडकानि० 49 थाना मलारना डूंगर स०मा० ने सिराज पुत्र गुन्ना खां जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी भाडौती थाना मलारना डूंगर जिला स०मा०, रमेश पुत्र कल्याण जाति बैरवा उम्र 32 साल निवासी गम्भीरा थाना मलारना डूंगर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार राजेन्द्रसिंह चौहान पु०नि० थानाधिकारी थाना बौली ने पुखराज पुत्र मोहरपाल जाति मीना उम्र 26 साल निवासी बहनौली थाना बौली, देशराज पुत्र प्रभूलाल जाति मीना उम्र 28 साल निवासी जस्टाना थाना बौली, राधेश्याम पुत्र नाथूलाल जाति कोली उम्र 51 साल निवासी जस्टाना थाना बौली को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

दर्ज मुकदमात के 03 आरोपी गिरफ्तार :-

रेवडमल मौर्य पु०नि० थानाधिकारी थाना बामनवास स०मा० ने दर्ज मुकदमात का आरोपी श्री बबलेश उर्फ बन्टी पुत्र श्री बत्तीलाल मीना उम्र 27 साल निवासी भांवरा थाना बामनवास, श्री हंसराज पुत्र श्री रामलाल जाति मीना उम्र 19 साल निवासी मलवास थाना लालसोट, श्री शिवराम पुत्र श्री चेताराम जाति मीना उम्र 20 साल निवासी खूटला थाना सदर गंगापुर सिटी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्री रमेश पुत्र हरिकिसन मीणा निवासी भांवरा ने दिनांक 04.10.2017 को मु०न०:- 211/17 धारा 364ए,342,34 ता०ह० में थाना बामनवास स०मा० पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

हत्या का आरोपी गिरफ्तार :-

प्रेम बहादुरसिंह पु०नि० थानाधिकारी थाना कोतवाली स०मा० ने योगेश पुत्र दिलोप जाति मराठी उम्र 27 साल निवासी राजवड थाना पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र हाल तेली मस्जिद के पास रेल्वे कोलोनी स०मा० को रामकेश पुत्र रामस्वरूप की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि अज्ञात आरोपी के विरुद्ध श्री प्रेम बहादुरसिंह पु०नि० थानाधिकारी थाना कोतवाली स०मा० ने दिनांक 05.10.2017 को उक्त मृतक का शव मिलने पर मु०न०:- 559/17 धारा 302 ता०ह० में थाना कोतवाली स०मा० पर दर्ज किया था।

तेज आवाज में डैक मशीन चलाने का आरोपी गिरफ्तार :-

महेश चन्द स०उ०नि० थाना बौली ने मुकेश पुत्र रामपाल जाति यादव निवासी डिडवाडी थाना बौली को तेज आवाज में डैक मशीन चलाने के आरोप में थाना बौली पर मु०न० 346/17 धारा 4/6 RNC Act में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।